Consent – it's your decision (Hindi version)

अनुमति – यह आप का निर्णय है

आप को अपने स्वास्थ्य देख-भाल और चिकित्सा के विषय में निर्णय लेने में कैसे शामिल होना चाहिये

संस्करण 3

अगस्त 2010 में तैयार

संशोधन की तिथि फरवरी 2013

यह पुस्तिका किसके लिये है?

- य़ह पुस्तिका सभी आयु के लोगों के लिये है।
- इस पुस्तिका का एक और संस्करण 16 से कम आयु के युवा लोगों के लिये भी है, जिस का नाम है 'अनुमति –आप के अधिकार' (**Consent – your rights**)। आप को इस की एक कॉपी वहां से मिल सकती है जहां से आप को NHS देख-भाल पुस्तिका मिलती है या इंटरनेट पर भी (www.hris.org.uk) मिल सकती है।

यह पुस्तिका किस विषय में है?

यह आप को आप के स्वास्थ्य की देख-भाल और चिकित्सा के बारे में निर्णय लेने के अधिकार के विषय में बताती है। साधरणतः आप किसी भी चिकित्सा, परीक्षण या जांच को स्वीकार कर सकते हैं या उससे इनकार कर सकते हैं और यह निर्णय ले सकते हैं कि आपको शोध में भाग लेना है या नहीं।

अनुमति देने का अर्थ क्या है?

इस का अर्थ है सहमत होना, अथवा सहमति देना। इस से पहले कि कोई डाक्टर, नर्स या कोई अन्य स्वास्थ्य व्यवसायी आप का परीक्षण या आपकी चिकित्सा कर सके, उन को आप से अनुमति लेना आवश्यक है।

कौन अनुमति दे सकता है?

यदि आप खुद अपने निर्णय ले सकते हैं तो आप अनुमति दे सकते हैं।

- निर्णय कर सकने का मतलब है कि आप समझें इसमें क्या शामिल है और अलग-अलग क्रियाओं के लाभ और हानियों के बारे में स्पष्ट रूप से विचार कर सकें।
- आप को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिये, और आप को यह निर्णय बिना दूसरे लोगों के किसी दबाव के लेना चाहिये।

क्या होगा यदि मैं अनुमति न दे सका?

यदि आप दी गई जानकारी को समझ सकते हैं, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये विचार कर सकते हैं, अपना निर्णय याद रख सकते हैं और अपना निर्णय किसी को बता सकते हैं, तब आप अनुमति दे सकते हैं। यदि आप यह सब नहीं कर सकते तो इसे असमर्थता (incapacity) कहा जाता है।

- यदि आपकी असमर्थता मादक दवाओं या अल्कॉहल / शराब के कारण है तो कोई चिकित्सा पेशेवर आपकी बिना सहमति के आपका उपचार कर सकता है, यदि यह आपके हित में हो तो।
- यदि आपकी असमर्थता सीखने में असमर्थता या डेमेन्शिया जैसी मानसिक बीमारियों के कारण है तो आप के बदले कोई और अनुमति दे सकता है।

यदि आप एक व्यस्क हैं

आप के बदले कोई दूसरा अनुमति दे सकता है यदि:

- आप ने उन्हें उपचार करने की सहमति की ताकत के साथ कल्याणकारी पावर ऑफ अटॉर्नी (welfare power of attorney) दिया है, या
- कोर्ट द्वारा उन्हें उपचार करने की सहमति की ताकत के साथ कल्याणकारी अभिभावक बनने की आज्ञा (welfare guardianship order) दी गई है, या

- कोर्ट द्वारा उन्हें उपचार के लिये विशेष रूप से कल्याणकारी मध्यवर्ती आज्ञा (welfare intervention order) दी गई है और चिकित्सा की आवश्यकता केवल थोड़े समय के लिये हो।

डाक्टर भी आप की चिकित्सा कर सकते हैं यदि आप के लिये अनुमति देनेवाला कोई दूसरा न हो, और चिकित्सा आप के लिये लाभदायक हो। आपको हमेशा इस प्रकार जानकारी दी जानी चाहिये कि आप समझ सकें और आपको संवाद करने में हमेशा मदद दी जानी चाहिये।

और अधिक जानकारी के लिये, **देखभाल और सहमति (Caring and consent)** पुस्तिका को देखें। कॉपी कहाँ से प्राप्त की जाये, इसके लिये पेज 14 देखें।

असमर्थता वाले वयस्कों के अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करनी है यह जानने के लिए पेज 10 देखें।

यदि आप 16 से कम आयु के हैं, तो

- माता/पिता की जिम्मेदारी संभालने वाला कोई व्यक्ति आपके लिए अनुमति दे
  सकता है यदि आप खुद नहीं दे सकते हों।

16 से कम आयु के युवकों के अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करनी है यह जानने के लिए पेज 10 देखें।

आपातस्थिति में क्या होता है?

- किसी आपातस्थिति में –जैसे कि, यदि आप के साथ सड़क पर दुर्घटना घटी है और आप को बहुत शीघ्र चिकित्सा की आवश्यकता है आप की जान बचाने के लिये –अपनी दशा के कारण आप अपनी चिकित्सा के विषय में निर्णय लेने की अवस्था में नहीं हो सकते।
- यदि आप अनुमति दे नहीं सकते और किसी दूसरे के पास आप के लिये निर्णय लेने का समय नहीं है, तब डाक्टर आप की चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन वे आपकी अनुमति बिना चिकित्सा केवल तभी कर सकते हैं जब ऐसा करना आप की जान बचाने के लिये बहुत आवश्यक हो या आप को किसी गंभीर हानि पहुचने से बचाना हो।

मुझसे अपनी अनुमति देने के लिये कैसे पूछा जायेगा?

- कोई डॉक्टर या कोई अन्य चिकित्सा पेशेवर आपसे अपनी अनुमति देने के लिये कुछ करने को कह सकता है। जैसे कि, डाक्टर आप से आप के पैर का निरीक्षण करने के लिया पूछ सकता है। यदि आप अपना जूता उतार देते हैं, तब यह दर्शाता है कि आप सहमत हैं।
- आमतौर पर आप से पूछा जायेगा कि क्या आप निरीक्षण या चिकित्सा के लिये सहमत हैं।
- यदि परीक्षण या चिकित्सा अधिक जटिल हो, जैसे कि आपरेशन, तो आप को एक फार्म भरने को कहा जा सकता है यह दर्शाने के लिये कि आप सहमत हैं।

मझे कौन सी जानकारी दी जायेगी?

- निर्णय लेने में आप की सहायता करने के लिये, NHS के सदस्यों को जो आपकी देखभाल में शामिल हैं, आप के परीक्षण या चिकित्सा के विषय में जानकारी इस प्रकार देनी चाहिये कि आप उसे समझ सकें। आप जानना चाह सकते हैं कि :
    - आप का परीक्षण या चिकित्सा क्यों किया / की जा रहा / रही है
    - इस में क्या शामिल होगा
    - इस के क्या लाभ हैं
    - क्या इस से कोई खतरा या पार्श्र्व प्रभाव (side effects) हो सकता हैं
    - खतरा कितना बड़ा या कम है
    - क्या कोई विकल्प है
    - क्या होगा यदि आप यह परीक्षण या चिकित्सा ना करवायें तो?
    - क्या आप को पैसे देने होंगे (जैसे कि, दाँत की चिकित्सा के लिये), और
    - उस डाक्टर का नाम जो आप की देख-भाल के लिये उत्तरदायी है।

- यदि आप समझ नहीं रहे हैं या अधिक जानना चाहते हैं आप को प्रश्न पूछने का अधिकार है। यदि वह व्यक्ति जिसे आप से अनुमति चाहिये, आप के प्रश्नों का उत्तर देने के अयोग्य है, उन से पता लगाने को या किसी दूसरे को बुलाने को कहें जो सहायता कर सकता हो। यदि आप सोचते हैं कि

यह आवश्यक है, तो आप इस विषय में किसी दूसरे के विचार जानने के लिये पहल कर सकते हैं।

- यदि आपको दुभाषिये की ज़रूरत है तो किसी कर्मचारी को पहले से इसकी व्यवस्था करने को कहें। जब आप अप्वाइंटमेन्ट लें, तब उन्हें बताएँ कि आप कौन सी भाषा पसंद करते हैं।

- यदि आप चाहते हैं, तो जब आप को परीक्षण या चिकित्सा के विषय में बताया जा रहा हो उस समय कोई आप के साथ आ सकता है। यह व्यक्ति आप का मित्र, संबन्धी, साथी या देख-भाल करने वाला, स्टाफ का कोई दूसरा सदस्य, या एक स्वतंत्र प्रतिनिधि (जो अक्सर 'advocate' कहलाता है) हो सकता है।

- कभी-कभी आप को जो कुछ परीक्षण या चिकित्सा के विषय में कहा गया हो उसे पूरी तरह से समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। अगर आप ऐसी लिखित जानकारी चाहेंगे जिसे आप निर्णय लेने के लिये अपने साथ ले जा सकें, आप को बता देना चाहिये।

मैं कितना समय ले सकता हूँ निर्णय लेने में?

आपातस्थिति में निर्णय शीघ्रता से लेने होंगें; और दूसरी सामान्य दशाओं में, आप निर्णय लेने में अधिक समय दे सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आपको अपना निर्णय लेने में पर्याप्त समय दिया जाये ताकि आपको न लगे कि जल्दबाजी की जा रही है। यदि आपको अपने निर्णय के बारे में सोचने का समय चाहिए तो आपको ऐसा कहना चाहिए।

क्या होगा यदि मैं अपना विचार बदल लूं?

आप परीक्षण या चिकित्सा के विषय में अपनी अनुमति देने के विषय में अपने विचार किसी भी समय बदल सकते हैं। आप को किसी सदस्य को बता देना चाहिये जो आप की देख-भाल करता है।

क्या मैं परीक्षण और चिकित्सा से इन्कार कर सकता हूँ?

- साधरणतः आप परीक्षण या चिकित्सा से किसी भी समय इन्कार कर सकते हैं चाहे इस से आप के स्वास्थ्य, या आप के पैदा होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य की गंभीर हानि हो।

- यह आवश्यक है कि आप समझें कि यदि आप परीक्षण या चिकित्सा न करवाने का निर्णय लेते हैं तो आपको क्या हो सकता है।

- यदि कोई दूसरी चिकित्सा हो जिस का प्रयोग बदले में किया जा सकता हो, तो आप को इस विषय में जानकारी दी जायेगी। पर आप कोई विशेष चिकित्सा करवाने पर ज़ोर नहीं दे सकते यदि आप की देख-भाल करने वाला NHS का स्टाफ यह सोचता है कि इस से आप को सहायता नहीं मिलेगी।

- याद रखें कि निर्णय लेने से पहले आप अपनी चिकित्सा के विषय में कोई दूसरी राय ले सकते हैं।

16 से कम आयु के युवकों के लिए जानकारी

यदि आप 16 से कम आयु के हैं, और आपकी देखभाल करने वाले चिकित्सा पेशेवरों को लगता है कि आप अपने लिये निर्णय लेने योग्य हैं, तो आप किसी परीक्षण या चिकित्सा से इन्कार कर सकते हैं। यद्यपि:

- आप की देख-भाल करने वाला व्यक्ति यह जानना चाह सकता है कि आप को इन्कार क्यों है। उन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि क्या उन्होंने आप को निर्णय लेने के लिये पर्याप्त जानकारी दी है।

- बहुत असामान्य मामलों में, यदि आप रोग की गंभीर अवस्था में परीक्षण या चिकित्सा से इन्कार करते हैं, तो आप के माता-पिता या आपकी देखभाल करने वाला व्यक्ति आपसे असहमत हो सकता है और आप के मामले में किसी वकील से विचार-विमर्श कर सकता है। इस मामले में अपनी मदद के लिये आप अपना वकील भी रख सकते हैं।

और अधिक जानकारी के लिये, Scottish Child Law Centre (स्कॉटिश चाइल्ड लॉ सेंटर) (पेज 10 देखें)।

16 से कम आयु के युवकों के लिए अनुमति संबंधी जानकारी कहाँ से पानी है यह जानने के लिए पेज 13 देखें।

क्या होगा यदि मैं मानसिक रोग या विकार से पीड़ित होऊं?

- बहुत सी दशाओं में, यदि आप मानसिक रोग या विकार से पीड़ित हैं, किसी परीक्षण या चिकित्सा से सहमत होने या उस से इन्कार करने के आप के भी वैसे ही अधिकार हैं जैसे कि किसी दूसरे के।

- लेकिन यदि आप की देख-भाल Mental Health Act (मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम) के अधीन हो रही है, तो आप के मानसिक रोग या विकार का परीक्षण और चिकित्सा आप की अनुमति लिये बिना ही की जा सकती है। ऐसा सिर्फ तब होगा यदि:

    - इस में आप की भलाई होगी, और
    - यदि आप उपचार नहीं कराते हैं तो आपको या अन्य लोगों को काफी जोखिम हो सकता है।

कुछ चिकित्साओं के लिये दिशा-निर्देश मौजूद हैं। जैसे कि, आप को कोई विशेष चिकित्सा देने के पहले आप के डाक्टर को इस विषय में किसी दूसरे डाक्टर के विचार जानने की आवश्यकता पड़ सकती है।

- **Scottish Government Health Directorates (स्कॉटिश सरकार स्वास्थ्य विभाग)** ने मानसिक रोगों या विकारों से पीड़ित लोगों के लिये जानकारी के पथ-प्रदर्शन की श्रेणी बनाई है। पेज 11 देखे यह जानने के लिये कि इन की कॉपी आप को कहाँ से मिल सकती है।

मानसिक रोगों या विकारों से पीड़ित लोगों के अधिकारों के विषय में और अधिक जानकारी के लिये पेज 11 देखें।

क्या होगा यदि मुझे इस के शिक्षण में भाग लेने को कहा गया तो?

- NHS के स्टाफ को आप से हमेशा यह पूछना चाहिए कि क्या आप अपने परीक्षण या चिकित्सा के समय वहाँ विद्यार्थियों की उपस्थिति पसंद करेंगे

या नहीं। आप को इन्कार करने का अधिकार है, और इस से आप की मानसिक देख-भाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- **शिक्षण** के उद्देश्य से, आप के परीक्षण या चिकित्सा की फोटो, विडीयो या आवाज रेकार्ड करने से पहले आप की अनुमति के लिये आप से पूछा जाना चाहिये। जहाँ संभव हो, ऐसी जानकारी जिस से आप की पहचान हो सके प्रयोग करने से पहले हटा दी जायेगी। ऐसी दशाओं में जहाँ यह संभव नहीं है, आप को निर्णय लेने से पहले बता दिया जायेगा।

- यदि आप शिक्षण के हेतु फ़ोटो लिए जाने, या रिकार्डिंग किए जाने से सहमत हैं, तो आप बाद में अपने विचार बदल भी सकते हैं। यदि आप अनुमति वापस लेते हैं, तो फोटो या रिकार्डिंग का उपयोग नहीं किया जाएगा और उन्हें यथाशीघ्र मिटा दिया जाएगा।

क्या होगा यदि मुझे इस की खोज में भाग लेने को कहा गया तो?

- यदि आप अपना निर्णय स्वयं कर सकते हैं तो यह निश्चित करना आप पर निर्भर करता है कि आप खोज में भाग लेना चाहते हैं या नहीं।

- निर्णय लेने से पहले, आप को खोज के विषय में जितनी जानकारी चाहिये उतनी दी जायेगी, और आप जितने चाहें प्रश्न पूछ सकते हैं।

- आप को साधारणतः खोज के विषय में लिखित जानकारी दी जायेगी जिसे आप घर ले जा सकते हैं। इस जानकारी का प्रयोग आप अपने परिवार और मित्रों के साथ खोज की चर्चा करने के लिये कर सकते हैं। आप पर इस में भाग लेने की सहमति देने के लिये कभी किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जायेगा।

- यदि आप खोज में भाग लेना चाहते हैं, आप को एक फार्म पर हस्ताक्षर करने को कहा जायेगा यह दर्शाने के लिये कि आप ने अपनी अनुमति दे दी है। आप को इस फार्म की एक कॉपी अपने पास रखने को दी जा सकती है, और एक कॉपी आप के स्वास्थ्य के अभिलेखों के साथ रखी जायेगी।

- खोज में भाग लेने के विषय में आप किसी भी समय अपना विचार बदल सकते हैं बिना कोई कारण बताये बगैर।

- यदि आप खोज में भाग न लेने का निर्णय लेते हैं, आप को मिलने वाली देख-भाल के स्तर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी के प्रयोग के लिये अनुमति

NHS को आप की व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी को गुप्त रखना होगा। आप को यह निर्णय लेने में शामिल होना चाहिये कि आप की व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी का प्रयोग कैसे किया जाये।

आप की व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी का प्रयोग कैसे किया जाये इस की अधिक जानकारी के लिये हमारी पुस्तिका **'गोपनीयता – यह आप का अधिकार है' (Confidentiality - it's your right)** देखें। पेज 13 देखें यह जानने के लिये कि इस पुस्तिका की कॉपी कहाँ से मिलेगी।

क्या होगा यदि मैं खुश न हुआ तो?

आप के स्वास्थ्य की देख-भाल के विषय में निर्णय लेने में आप को जिस प्रकार शामिल किया गया है; उससे यदि आप खुश नहीं हैं तो, पहले NHS स्टाफ के किसी सदस्य से जो आप की देख-भाल करता है बात करें। यदि उसके बाद भी आप खुश नहीं हैं, तो आप औपचारिक रूप शिकायत कर सकते हैं।

शिकायत करने के विषय में और अधिक जानकारी के लिये **'NHS के विषय में शिकायत करना'** (**Making a complaint about the NHS**) पुस्तिका देखें। पेज 13 देखें यह जानने के लिये कि इस पुस्तिका की कॉपी कहाँ से प्राप्त होगी।

अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें

- इस पुस्तिका में दी गई किसी भी जानकारी के विषय में अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें:
  - NHS स्टाफ के किसी सदस्य से जो आप की देख-भाल करने में शामिल है
  - NHS inform Helpline (NHS जानकारी सहायता फोन नंबर) **0800 22 44 88** (textphone 18001 0800 22 44 88), हेल्पलाइन दुभाषिया की सेवा भी उपलब्ध कराती है, या
  - आप के स्थानीय नागरिक सलाह ब्यूरो (citizens advice bureau) से (इंटरनेट पर **www.cas.org.uk** से अपने नज़दीकी दफ्तर का पता लगायें या अपनी स्थानीय फोन बुक से)।

- कानून का बच्चों और युवकों पर कैसा प्रभाव पड़ता है इस विषय में और अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें:

  The Scottish Child Law Centre (स्कॉटिश चाइल्ड लॉ सेंटर)
  54 East Crosscauseway
  Edinburgh EH8 9HD
  सूचना हेल्पलाइन: **0131 667 6333**
  18 से कम की आयु के लोगों के लिये मुफ्त फोन नंबर: **0800 328 8970**
  फ्री टेक्स्ट पूछताछ सेवा: 'SCLC' टेक्स्ट करके आपका प्रश्न **80800** पर भेजें (आपके मोबाइल फ़ोन पर टेक्स्ट द्वारा उत्तर भेजे जाएँगे)
  ईमेल: **enquiries@sclc.org.uk**
  वेबसाइट: **www.sclc.org.uk**

- यदि आप अपने लिये निर्णय नहीं ले सकते या दूसरे लोगों को अपना निर्णय बता नहीं सकते तो इसे 'असमर्थता' कहा जाता है। **देखभाल और सहमति** पुस्तिका में ऐसे लोगों के अधिकारों के बारे में, जो चिकित्सीय उपचार के लिये सहमति नहीं दे सकते हैं, और उनकी देखभाल करने वाले लोगों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। कॉपी कहाँ से प्राप्त की जाये, इसके लिये पेज 13 देखें। Adults with Incapacity (Scotland) Act (अक्षमता वाले

वयस्कों हेतु (स्कॉटलैंड) अधिनियम) के विषय में अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें:

The Office of the Public Guardian (सार्वजनिक अभिभावक कार्यालय)
Hadrian House,
Callendar Business Park,
Callendar Road
Falkirk FK1 1XR

फोन: **01324 678 300**

ईमेल: **opg@scotcourts.gov.uk**

वेबसाइट: **www.publicguardian-scotland.gov.uk**

- किसी मानसिक रोग, सीखने में असमर्थता, डेमेंशिया या अन्य मानसिक विकार से पीड़ित लोगों के अधिकारों के विषय में और अधिक जानकारी के लिये **स्कॉटलैन्ड के मानसिक हित अधिकार** से संपर्क करें। वे आप को Adults with Incapacity Act के अंदर लोगों के अधिकारों के विषय में अधिक जानकारी और सलाह दे सकते हैं।

Mental Welfare Commission for Scotland (स्कॉटलैन्ड के मानसिक हित अधिकार)
Thistle House
91, Haymarket Terrace
Edinburgh EH12 9HE

इस सेवा का प्रयोग करने वालों और देख-भाल करने वालों के लिये मुफ्त फोन नंबर: **0800 389 6809**

ईमेल: **enquiries@mwcscot.org.uk**

वेबसाइट: **www.mwcscot.org.uk**

- **Scottish Government Health Directorates (स्कॉटिश सरकार स्वास्थ्य विभाग)** ने उन लोगों के लिये जो मानसिक रोगों से पीड़ित हैं और देख-भाल करने वालों के लिये जानकारी पथ-प्रदर्शन की श्रेणी प्रकाशित की है, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयोग करते हैं। जिस में अनुमति देने से ले कर चिकित्सा तक का पथ-प्रदर्शन शामिल है। यदि आप इन पथ-प्रदर्शनों की एक कॉपी लेना पसंद करेंगे, तो संपर्क करें:

Mental Health Law Team (मानसिक स्वास्थ्य लॉ टीम)
Mental Health Division

Scottish Government Health Directorates
St Andrew's House
Regent Road
Edinburgh EH1 3DG
फोन: **0131 244 2591**
ई-मेल: **mentalhealthlaw@scotland.gsi.gov.uk**

वेबसाइट: **www.scotland.gov.uk** **(**स्वास्थ्य और समुदाय सेवा (health and community care), स्वास्थ्य सुधार (improving health), मानसिक स्वास्थ्य (mental health) मानसिक स्वास्थ्य कानून (mental health law) और मार्गदर्शन (guidance) की लिंक्स पर जाएँ)

स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जानकारी

- **NHS और आप (The NHS and You)** में बताया गया है कि स्कॉटलैंड में आप NHS से क्या अपेक्षा कर सकते हैं और NHS आपसे क्या अपेक्षा करता है।
- **NHS के बारे में शिकायत कैसे करें (Making a complaint about the NHS)** आपको जानकारी मिलती है कि NHS की शिकायत प्रक्रिया को किस प्रकार उपयोग में लाया जाये।
- **गोपनीयता – यह आपका अधिकार है (Confidentiality – it's your right)** आपको जानकारी देती है कि NHS किस प्रकार आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी का बचाव करता है।
- **अपने स्वास्थ्य के रिकॉर्ड आप कैसे देखें (How to see your health records)** आपको अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को देखने या उसकी कॉपी प्राप्त करने के बारे में जानकारी देती है।
- **विदेशी लोगों की स्वास्थ्य देखभाल (Health care for overseas visitors)** तथ्यपत्रों का एक सेट है जो जानकारी देता है कि विदेशी आगंतुक स्कॉटलैंड में प्रवास के दौरान NHS सेवाओं की क्या उम्मीद कर सकते हैं।

कम उम्र के लोगों के लिये जानकारी

- **सहमति – आपके अधिकार (Consent – your rights)** जानकारी देती है कि आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल और उपचार में किस प्रकार शामिल होना चाहिये।
- **गोपनीयता – आपके अधिकार (Confidentiality – your rights)** जानकारी देती है कि स्वास्थ्य सेवा किस प्रकार आपके बारे में जानकारी को गोपनीय रखती है।
- **अपनी बात को कहने का आपका अधिकार (Have your say! Your right to be heard)** जानकारी देती है कि प्रतिक्रिया किस प्रकार दी जाये या NHS के बारे में शिकायत किस प्रकार की जाये।

देखभाल करने वालों के लिये जानकारी

- **देखभाल और सहमति (Caring and consent)** उन वयस्कों के स्वास्थ्य की देखभाल के निर्णय में शामिल होने के आपके अधिकार के बारे में जानकारी देती है जिनकी आप देखभाल करते हैं।

इस जानकारी को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं :

- जीपी (GP) और डेन्टल सर्जरी, अस्पतालों और दूसरे स्थानों से जहाँ आप को NHS देख-भाल प्राप्त होती है
- **www.hris.org.uk**
- आप के स्थानीय नागरिक सलाह ब्यूरो (citizens advice bureau) से (इंटरनेट पर **www.cas.org.uk** से अपने नज़दीकी दफ्तर का पता लगायें या अपनी स्थानीय फोन बुक से), और
- NHS inform Helpline (NHS जानकारी सहायता फोन नंबर) **0800 22 44 88** पर। (textphone 18001 0800 22 44 88, हेल्पलाईन दुभाषिया सेवा भी उपलब्ध कराती है).

हमारी यह पूरी कोशिश रही है कि इस पुस्तिका में दी गई जानकारी सही हो। यद्धपि, यह पुस्तिका सिर्फ पथ-प्रदर्शन के लिये ही है इसलिये आप इसे कानून का पूरा कथन समझ कर इस पर निर्भर न करें। यदि आप कानूनी कार्यवाही करना चाहते हैं, आप को किसी वकील, नागरिक सलाह ब्यूरो के दफ्तर या दूसरी सलाह देने वाली एजेन्सी से संपर्क करना चाहिये।

इसे Health Rights Information Scotland द्वारा प्रकाशित किया गया है, Scottish Government Health Directorates के लिये, Consumer Focus Scotland की एक प्रयोजना है।

यह जानकारी किसी दूसरी भाषा या संरूप में लेने के लिये अपने स्थानीय NHS बोर्ड को फोन करें। यदि आप को सहायता की आवश्यका है तो NHS inform Helpline
0800 22 44 88 पर संपर्क करें (textphone 180010800 22 44 88)।

www.hris.org.uk

The Scottish Government

Consumer Focus Scotland